न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश,पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर ऐक्ट, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–225/2026

सी०एन०आर०–UPJP010014072026

फागू लोना उर्फ आशीष उ०त० 25 वर्ष पुत्र सीताराम उर्फ बवाली, निवासी मगरसनतला, थाना करौंदी कला, जनपद सुल्तानपुर।

आवेदक/अभियुक्त

–बनाम–

1–उ०प्र० राज्य जरिए जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

–विपक्षी।

मु०अ०सं०–192/2024
धारा–109, 310(2), 317(3),
325, 3(5) बी०एन०एस०,
थाना–पवारा, जिला जौनपुर।

दिनांक–11.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त फागू लोना उर्फ आशीष की तरफ से मु०अ०सं०–192/2024, अन्तर्गत धारा–109, 310(2), 317(3), 325, 3(5) बी०एन०एस०, थाना पवारा, जनपद जौनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं। आवेदक F.I.R. में नामजद नहीं है। इस मामले में घटना 6 मार्च 2025 की कही जा रही है और मुकदमा 8 मार्च 2025 को लिखवाया गया है। देरी का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 21/22.11.2024 की रात्रि लगभग 01:00 बजे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भैंस चोरी करने का प्रयास किया गया तथा फायरिंग की गई। एफ.आई.आर. में अभियुक्त का नाम, हुलिया, पहचान या कोई विशिष्ट विवरण अंकित नहीं है। एफ.आई.आर. पूर्णतः अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज है। न तो किसी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा अभियुक्त की पहचान की गई है, न ही कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) कराई गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी घटनास्थल से नहीं हुई, न ही उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु, वाहन अथवा कथित चोरी की भैंस बरामद हुई है। अभियोजन के कथनानुसार घटना के समय पिकअप वाहन संख्या UP–62 AT 1759 का उल्लेख किया गया है, परंतु वाहन स्वामित्व, लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग साक्ष्य से अभियुक्त की उपस्थिति सिद्ध नहीं की गई है। अभियुक्त के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), लोकेशन डेटा अथवा किसी डिजिटल साक्ष्य से घटना स्थल पर उपस्थिति सिदध नहीं है। घटना स्थल अथवा आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त की पहचान स्थापित नहीं की गई है। किसी भी फॉरेंसिक या बैलिस्टिक रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम या भूमिका परिलक्षित नहीं है कर और ना ही घटना को कोई सपोर्ट मिल रहा है। अतः तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया संदिग्ध है। अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया। मौके से कोई भी आवेदक मौके से पकड़ा नहीं गया है तथा आवेदक के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं है। आवेदक को मात्र संदेह के आधार पर मुल्जिम बनाया गया है किसी भी रूप में कोई सत्यापन नहीं किया गया है। आवेदक का नाम पुलिस कस्टडी में कन्फेसन के आधार पर आया है इसके अलावां आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है तथा पुनः ऐसे कन्फेसन की 23

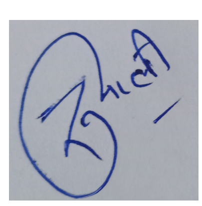

Digitally signed by ROOPALI SAXENA
Date: 2026.03.11 16:08:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

(1) BSA के तहत कोई EVIDENTIARY VALUE नहीं होती है। आवेदक का कोई IDENTIFICATION वादी पक्ष से नहीं कराया गया है। उपरोक्त कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। इस मामले में रिकवरी बेहद गलत ढंग से दिखाई गई है। वर्तमान में धारा 176 BNSS के प्रावधानों के अनुक्रम में फॉरेंसिक एविडेंस नहीं लिया गया। जिससे भी स्पष्ट होता है कि सिर्फ पूर्वाग्रह में होकर बेहद जल्दीबाजी में ऐसा किया गया है। धारा 180 BNSS मे गवाहों के बयान के ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था की गई है लेकिन विवेचक द्वारा खुद कोई विवेचना नहीं की गई है बल्कि पुराने ही तरीके से दिखावटी विवेचना दिखाकर चालान कर दिया गया है। नये संशोधित कानून के तहत मुकदमे में कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे सारी प्रक्रिया स्वतः ही दूषित हो गयी है। 185 (2) BNSS, 185(4) BNSS, 103 BNSS, 105 BNSS के नियमों के अनुरूप सर्च, रिकॉर्डिंग, audio–video electronic means के जरिए नहीं कराया गया है जबकि इस संदर्भ में स्पष्ट कानून बनाया गया है। इसके बावजूद भी कथित तलाशी लेकर तुरंत चालान कर दिया गया है। आवेदक को कलुषित मानसिकता में होकर साजिश, षड़यंत्र, दुरभिसन्धि करके प्रतिशोधात्मक तरीके से राजनैतिक दुर्भावना एवं गवई राजनीति में होकर फर्जी ढंग से implicate किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। समस्त अभियोजन प्रपत्र, site plan, बयान 180 BNSS केस डायरी, G.D. आदि में गहरा विरोधाभाष है तथा एक दूसरे को corroborate करने के बजाय contradict करते हैं तथा vital material बिन्दुओं पर परस्पर paradoxical हैं तथा अभियोजन कथानक की sanctity को दूषित करते हैं। समस्त अभियोजन प्रपत्र Fabricated, manipulated काल्पनिक, हाइपोथिटिकल, मिथ्या, बनावटी एवं फर्जी हैं तथा judicial perspective में कत्तई स्वीकार करने योग्य नहीं है। F.I.R., G.D. एन्टी टाईम, एन्टीडेटेड हैं तथा तमामी ओवर राइटिंग हैं। अभियोजन प्रपत्र After thought तथा Deliberated है। आवेदक को दुर्भावना, दुरभिसन्धि होकर आवेदक के दुश्मनान के साथ षडयंत्र करके scapegoat (बलि का बकरा) बनाया गया है। मामले में अत्यन्त दूषित, सतही, आधी–अधूरी, एकांगी विवेचनात्मक कार्यवाही न्याय के मंशा के प्रतिकूल होकर की गयी है जिससे अभियोजन प्रपत्र contaminated हो जाता है। विवेचना में आधुनिक वैज्ञानिक methodology का प्रयोग करके Truth को Explore करने के बजाय Hollow paper quorum पूरा किया गया है गवाहान के बयान की वीडियोग्राफी भी नहीं की गयी है। अनिवार्य नियमों को suffocate किया गया है जिससे विवेचना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। आवेदक सम्मानित परिवार का है। आवेदक के पास सक्षम surety है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक इस बात की अण्डर टेकिंग देता है कि विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगा। गवाहान को कभी इन्टीमिडेट नहीं करेंगा तथा साक्ष्य एवं साक्षी को कभी प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करेंगा तथा विचारण में नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा। आवेदक शान्तिप्रिय व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाला महिला है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। आवेदक कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में लम्बित/विचाराधीन नहीं है। माननीय सबार्डिनेट कोर्ट द्वारा सरसरी तौर पर जमानत खारिज कर दिया गया है। आवेदक का जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

3. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना गया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को निर्दोष है, गलत ढंग से मुल्जिम बनाया गया है, प्रार्थी नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी को थाना पंवारा की पुलिस जेल से तलब करके इस घटना में लिप्त करके अभियुक्त बना दिया है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 21/22.11.2024 को समय करीब 1:00 बजे रात्रि

में वादी मुकदमा के घर पर बंधी भैंस एक पिकअप में चोरी से लाद कर पशु तस्करी करने का अपराध कारित किया। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 21/22.11.2024 की रात्रि समय करीब 1.00 बजे रात्रि में मेरे घर के सामने मेरी भैंस बंधी थी जिसे अज्ञात चोरों द्वारा एक पिकप वाहन में चोरी से लाद कर ले जा रहे थे। तब गाड़ी की आवाज सुनकर मैं जाग गया एवं टॉर्च जलाकर में देखा तो गाड़ी पर यू०पी० 62 एटी 1759 लिखा था, पिकप में नये उम्र के कुछ लड़के थे, मैंने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने मेरी तरफ असलहा से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया परन्तु मैं बच गया, उसके बाद वे लोग असलहा लहराते हुए पवारा की तरफ निकल गये। मैंने अपने स्तर से खोजबीन किया, अब जाकर थाने पर आया हूँ। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पिकप पर सवार नये उम्र के कुछ लड़के नाम पता अज्ञात के विरूद्ध थाने पर मु०अ०सं०–192/2024, अंतर्गत धारा–303(2), 109 बी०एन०एस० का मुकदमा दर्ज किया गया।

7. प्रस्तुत अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुकागण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर पर बंधी भैंस दिनांक 21/22.11.2024 समय करीब 1.00 बजे रात्रि में एक पिकअप में चोरी से लाद कर ले जा रहे थे, वादी द्वारा टॉर्च जलाकर रोकने का प्रयास किया गया, पिकअप में आप लोगों द्वारा जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्र से फायर किया गया। अभियोजन की ओर से कथित रूप से चोटिल किसी भी व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रस्तुत थाना आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कई मुकदमे पंजीकृत होना बताया गया है, जिस पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त की किसी केस में दोषसिद्धि नहीं हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, बल्कि अभियुक्त का नाम विवेचना में प्रकाश में आया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 31.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले में सह–अभियुक्त मनोज यादव, मिथुन लोना व राबिश की जमानत हो चुकी है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण अवगुण पर किसी प्रकार का कोई मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त फागू लोना उर्फ आशीष द्वारा मु० 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे मु०अ०सं० 192/2024, धारा–109, 310(2), 317(3), 325, 3(5), बी०एन०एस०, थाना–पंवारा, जिला–जौनपुर के प्रकरण में निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा बाट विवेचना आरोप पत्र प्राप्त होने की स्थिति में नियत तिथियों पर स्वयं/जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षी / साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त जमानत के दौरान कोई अन्य अपराध कारित नहीं करेगा।

(रूपाली सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर ऐक्ट
जौनपुर।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 1524